परिशिष्ट

अतारांकित प्रश्न क्रमांक 5292 द्वारा श्री हितेन्द्र सिंह ध्यान सिंह सोलंकी, सदस्य विधानसभा

वर्ष 2016-17 अंतर्गत गेहूं उपार्जन

18. उपार्जित गेहूं का भारत शासन को परिदान

रबी विपणन वर्ष 2016-17 में मध्यप्रदेश शासन की ओर से भारत सरकार से गेहूं के विकेन्द्रीकृत उपार्जन की प्रतिपूर्ति प्राप्त करने हेतु मध्यप्रदेश स्टेट सिविल सप्लाईज कार्पोरेशन नोडल एजेंसी रहेगी, इसके लिए उनके द्वारा भारत सरकार से एमओयू निष्पादन किया जाए। यह प्रयास किया जाए कि उपार्जन अवधि के दौरान ही अधिक से अधिक गेहूं का परिदान भारतीय खाद्य निगम को उनके गोदाम/रैक से कर दिया जाए।

19. उपार्जित गेहूं की भंडारण व्यवस्था

19.1 रबी विपणन वर्ष 2016-17 में उपार्जित स्कंध की भण्डारण व्यवस्था हेतु शाखा पर विगत वर्ष के अनुमानित उपार्जन का 75 प्रतिशत उपार्जन रबी विपणन वर्ष 2016-17 में अनुमानित खरीदी केन्द्रों पर संभावित उपार्जन की मात्रा के भण्डारण हेतु शाखाओं पर उपलब्ध समस्त शासकीय भण्डारण क्षमता में 125 प्रतिशत तक के भण्डारण का अनुमान आंकलित करते हुये खरीदी केन्द्र से गोदामों के भण्डारण की ''मैपिंग'' तैयार की जावे।

समस्त शासकीय भण्डारण क्षमता के अतिरिक्त यदि शाखा पर निजी गोदामों की भी आवश्यकता हो तो JVC के ऑनलाईन प्रस्ताव में तैयार की गयी ''प्राथमिकता सूची'' की उतनी क्षमता तक के गोदाम जितनी उपार्जित गेहूं के भण्डारण हेतु आवश्यक हो उन्हें भी ''मैपिंग'' में सम्मिलित कर भण्डारण व्यवस्था सुनिश्चित की जावे।

खरीदी केन्द्र से भण्डारण की मैपिंग में गोदामों की प्राथमिकता निम्नानुसार रखी जाये -

1. PEG योजनांतर्गत निर्मित शासकीय/निजी गोदाम।
2. स्टील सायलो में भण्डारण।
3. समस्त शासकीय गोदाम।
4. WDRA पंजीकृत गोदाम संयुक्त भागीदारी योजना रूपये 57/- प्रति मे0टन।
5. संयुक्त भागीदारी योजना राशि रूपये 44/- प्रति मे0टन।
6. संयुक्त भागीदारी योजना राशि रूपये 33/- प्रति मे0टन।
7. किराये के गोदाम।
8. जिला कलेक्टर द्वारा अधिग्रहित किये गये गोदाम।
9. मण्डी के शेड।
10. केप में भण्डारण।

खरीदी केन्द्र से गोदामों की मैपिंग MPWLC, MPSCSC, अथवा MARKFED खाद्य अधिकारी अथवा उनके प्रतिनिधि से हस्ताक्षर कराकर चार प्रतियों में तैयार की जावे। जिसकी एक-एक प्रति आयुक्त, उपार्जन एजेन्सी एवं भण्डारण एजेन्सी को प्रेषित की जाए।

उक्त जानकारी को वेबसाईट पर भी अपलोड की जाये। इस प्रकार तैयार की गई ''मैपिंग'' के गोदामों पर सर्वप्रथम शासकीय क्षमता में भण्डारण पश्चात निजी गोदामों में से आवश्यकतानुसार एक से अधिक गोदाम भण्डारण हेतु खोले जावे, ताकि ''क्रॉस ट्रांसपोर्टेशन'' पर व्यय कम से कम हो। गोदामों का चयन करने में यह अवश्य देख जाये कि संभावित उपार्जित मात्रा के परिपेक्ष्य में उक्त गोदाम FIFO के लिये अंतिम रूप से चयनित गोदामों की श्रेणी में आ रहा है।

अनुभाग अधिकारी
मध्यप्रदेश शासन,
खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं
उपभोक्ता संरक्षण विभाग

वर्ष 2017-18 अनाज गेहूं उपार्जन

उपार्जित गेहूँ की भंडारण व्यवस्था

19.1 रबी विपणन वर्ष 2017–18 में उपार्जित स्कंध की भण्डारण व्यवस्था हेतु शाखा पर विगत वर्ष के अनुमानित उपार्जन का 75 प्रतिशत उपार्जन रबी विपणन वर्ष 2017–18 में अनुमानित मानते खरीदी केन्द्रों पर संभावित उपार्जन की मात्रा के भण्डारण हेतु शाखाओं पर उपलब्ध समस्त शासकीय भण्डारण क्षमता में 125 प्रतिशत तक के भण्डारण का अनुमान आंकलित करते हुये खरीदी केन्द्र से गोदामों के भण्डारण की "मैपिंग" तैयार की जावे।

- शासन द्वारा मध्यप्रदेश वेयरहाउसिंग एण्ड लॉजिस्टिक्स कारपोरेशन को रबी वर्ष 2017–18 में उपार्जित गेहूँ के भण्डारण हेतु नोडल एजेंसी बनाया गया है था भण्डारण नीति तय की गई है। तद्नुसार भण्डारण व्यवस्था सुनिश्चित की जावे। भण्डारण नीति मध्यप्रदेश शासन खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, मंत्रालय भोपाल का पत्र क्रमांक/एफ11–5/2015/29–2 भोपाल दिनांक 08 फरवरी 2017 एवं मध्यप्रदेश वेयरहाउसिंग एण्ड लॉजिस्टिक्स कार्पोरेशन के पत्र क्रमांक/7120–7121 दिनांक 17.02.2017 से जारी की गई है। तद्नुसार व्यवस्था सुनिश्चित करें। **(संलग्न परिशिष्ट –12 एवं 13)**
- शासन के निर्देश दिनांक 08.02.2017 अनुसार खरीदी केन्द्र से भण्डारण की मैपिंग में गोदामों की प्राथमिकता निम्नानुसार रखी जाये –
  1. PEG योजनांतर्गत निर्मित शासकीय/निजी गोदाम।
  2. स्टील सायलो में भण्डारण।
  3. समस्त शासकीय गोदाम।
  4. भण्डारण नीति अनुसार लिये गये गोदाम।

खरीदी केन्द्र से संग्रहण केन्दों की मैपिंग जिला स्तरीय उपार्जन समिति के प्रतिनिधियों के हस्ताक्षर कराकर चार प्रतियों में तैयार की जावे, जो संबंधित विभागों को कलेक्टर के माध्यम से प्रेषित की जावे। उक्त जानकारी को वेबसाईट पर भी अपलोड की जाये। इस प्रकार तैयार की गई "मैपिंग" के गोदामों पर सर्वप्रथम उपरोक्तानुसार प्राथमिकता से भण्डारण हेतु खोले जावे, ताकि "क्रॉस ट्रांसपोटेशन" न हो।

19.2 उपार्जन केन्द्र से भंडारगृह तक गेहूँ का भंडारण हेतु मध्यप्रदेश वेअर हाउसिंग एवं लॉजिस्टिक्स कारपोरेशन द्वारा निम्न मार्गदर्शी सिद्वान्त निर्धारित किए गए है :–

- प्रदेश में गेहूँ के भंडारण हेतु नोडल एजेन्सी मध्यप्रदेश वेयर हाउसिंग एण्ड लॉजिस्टिक्स कार्पोरेशन है। अतः मप्रवेलॉका द्वारा समस्त जिलो में उपार्जन हेतु भंडारण की व्यवस्था सुनिश्चित की जावे। गोदामो में जमा कराने की प्राथमिकता मप्रवेलॉका द्वारा निर्धारित मापदंडो के अनुरूप उपार्जन जिले के अधिकारियो को बताई जावे।
- उपार्जित गेहूँ के भण्डारण हेतु विस्तृत योजना राज्य स्तर पर तैयार की गई हैं। जिले की संबंधित खरीदी एजेंसी का दायित्व होगा कि जिले में उपार्जित गेहूँ के भंडारण की व्यवस्था उक्त योजनानुसार करें. जिले की भण्डारण एजेंसी का दायित्व होगा कि वह भंडारित उपज की सुरक्षा की पूरी व्यवस्था करें। यदि अस्थायी केप बनाने की आवश्यकता होती है तो वह कार्य भी भण्डारण की नोडल एजेंसी मध्यप्रदेश स्टेट वेयरहाउसिंग एण्ड लाजिस्टिक्स कार्पोरेशन द्वारा संपादित किया जाए। आपातकालीन स्थिति में जिला स्तरीय समिति के अध्यक्ष, जिला कलेक्टर, भण्डारण एजेंसी के प्रबंध संचालक से परामर्श कर निर्णय ले सकते है।
- जिले की भण्डारण क्षमता का पीडीएस आवश्यकतानुसार उपयोग होने पर, अतिशेष गेहूँ सर्वप्रथम उन निकटतम जिलो में ले जाएगा, जिनकी पीडीएस आवश्यकता पूर्ण नही हुई है।
- परिवहन मैपिंग में यह प्रयास किया जाए कि उपार्जन अवधि के दौरान ही अधिक से अधिक गेहूँ का परिदान भारतीय खाद्य निगम को उनके गोदाम एवं रैक प्वाइंट पर कर दिया जावे। भारतीय खाद्य निगम को सीमावर्ती राज्य के जिलो के लिए सड़क परिवहन की भी अधिकतम मात्रा खरीदी केन्द्र से सीधे प्रेषण के लिए निर्धारित किये जाकर परिदान की जावे।